

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.3(ग)एसीपी/1985-III/अलेसे-II/12114-115

दिनांक:- 27-06-2013

कार्यालय आदेश संख्या127/2013-14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/रुल्स/2008/दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ-14 (88) एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में श्री मदन लाल वैरागी, लेखाकार, जिनकी जन्मतिथि 05.07.1953 है तथा जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर आपातकालीन परीक्षा 1985 उत्तीर्ण कर दिनांक 12.08.1985 को कार्यग्रहण किया था। इन्होंने 27 वर्ष की राजकीय सेवा निरन्तर एवं सन्तोषजनक पूर्ण कर ली है, को दिनांक 12.08.2012 से कनिष्ठ लेखाकार के पद का तृतीय ए.सी.पी. पी.वी.-2, 9300-34800 पे-बैंड एवं रुपये 4800/- ग्रेड पे में स्वीकृत किया जाता है।

श्री मदन लाल वैरागी, लेखाकार के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) एफडी (नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तों के सम्बन्ध में सन्तोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

श्री मदन लाल वैरागी, लेखाकार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ-14(88)एफडी(नियम) 2008-। दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकार की सेवापुस्तिका में ली जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में ग्रेड पे 4200/- प्राप्त कर रहे है।

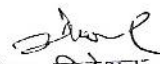

निदेशक

क्रमांक:-एफ.3(ग)एसीपी/1985-III/अलेसे-II/12114-115

दिनांक:- 27.06.2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष- प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ (राज0)।
2. श्री मदन लाल वैरागी, लेखाकार, कार्यालय- प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ (राज0)।
3. निजी सहायक निदेशक महोदया।
4. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (वेबसाईट हेतु)।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)